

पत्रांक::जी.एस.टी./2018-19/ 1819053/

830 /वाणिज्य कर  
कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक: 23, अक्टूबर, 2018


समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1  
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)/(वि0अनु0शा0)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- अन्य उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले उर्वरकों का 5 प्रतिशत की जी0एस0टी0 दर के अंतर्गत वर्गीकरण के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेस एण्ड कस्टम द्वारा अन्य उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले उर्वरकों का 5 प्रतिशत की जी0एस0टी0 दर के अंतर्गत वर्गीकरण के संबंध में Circular NO-54/28/2018-GST दिनांक 09.08. 2018 को जारी किया गया है।

उक्त परिपत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों को भी अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
  
(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)  
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

F. No. 354/255/2018-TRU (Part-2)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
(Tax Research Unit)

North Block, New Delhi  
Dated, 9<sup>th</sup> August, 2018

To

Principal Chief Commissioners/Principal Directors General,  
Chief Commissioners/Directors General,  
Principal Commissioners/Commissioners,  
All under CBIC.

Madam/Sir,

**Subject: Classification of fertilizers supplied for use in the manufacture of other fertilizers at 5% GST rate- reg.**

References have been received regarding a clarification as to whether simple fertilizers, such as MOP (Murate of Potash) classified under Chapter 31, and supplied for use in manufacturing of a complex fertilizer, are entitled to the concessional GST rate of 5%, as applicable in general to fertilizers (i.e. fertilizers which are cleared to be used as fertilizers).

2.1 The matter has been examined. Chapter 31 of the Customs Tariff Act, 1975 covers Fertilizers. The fertilizers are mostly used for increasing soil and land fertility, either directly, or by use in manufacturing of complex fertilizers. However, certain fertilizers and similar goods falling under this Chapter may be used for individual purposes like use of molten urea for manufacture of melamine and urea used in manufacturing of urea-formaldehyde resins or organic synthesis.

2.2 In the pre-GST regime, the concessional duty rate was prescribed for fertilizers falling under Chapter 31 of the Tariff (notification No. 12/2012-Central Excise). This concessional rate was applied to goods falling under Chapter 31 which are clearly to be used directly as fertilizers or in the manufacture of other fertilizers, whether directly or through the stage of an intermediate product.

3. In the GST regime, tax structure on fertilizers has been prescribed on the lines of pre-GST tax incidence. The wording of the GST notification is similar to the central excise notification except certain changes to meet the requirements of GST. These changes were necessitated as GST is applicable on the supply of goods while central excise duty was applicable on manufacture of goods. Accordingly, fertilizers falling under heading 3102, 3103, 3104 and 3105, other than those which are clearly not to be used as fertilizers, attract 5% GST [S. No. 182A to 182D of the First schedule to the notification No.1/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017]. However, the fertilizers items falling under the above mentioned headings, which are *clearly not to be used as fertilizer* attract 18% GST [S. No. 42 to 45 of the III schedule to the notification No. 1/2017 Central Tax (Rate)]. The intention has been to provide concessional rate of GST to the fertilizers which are used directly as fertilizers or which are used in the manufacturing of complex fertilizers which are further used as soil or crop fertilizers. The phrase "*other than clearly not to be used as fertilizers*" would not cover such fertilizers that are used for making complex fertilizers for use as soil or crop fertilizers.

4. Thus, it is clarified that the fertilizers supplied for direct use as fertilizers, or supplied for use in the manufacturing of other complex fertilizers for agricultural use (soil or crop fertilizers), will attract 5% IGST.

Yours faithfully,

Dr. Ajay K. Chikara  
Technical Officer (TRU)



**फाइल संख्या 354/255/2018-टीआरयू (पार्ट-2)**

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(कर अनुसंधान इकाई)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक 9 अगस्त, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/महानिदेशक/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सभी);

महोदया/महोदय,

**विषय: अन्य उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले उर्वरकों का 5% की जीएसटी दर के अंतर्गत वर्गीकरण**

ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या सामान्य उर्वरकों (ऐसे उर्वरक जिनको उर्वरक के रूप में ही प्रयोग किए जाने के लिए क्लीयर किया गया हो) पर लागू 5% की जीएसटी की रियायती दर उन साधारण उर्वरकों जैसे कि एमओपी (म्यूरेंट ऑफ पोटाश), जिसका वर्गीकरण अध्याय 31 में किया गया है और जिनका प्रयोग कॉम्पलैक्स फर्टीलाइजर के विनिर्माण में किया जाता हो, पर भी लागू होती है।

2.1 इस मामले पर विचार किया गया है। ये उर्वरक सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 31 के अंतर्गत आते हैं। इन उर्वरकों का ज्यादातर प्रयोग मृदा और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए या तो सीधे तौर पर या कॉम्पलैक्स उर्वरकों के विनिर्माण में किया जाता है। यद्यपि, कुछ उर्वरक और इसी प्रकार के पदार्थ जो कि इस अध्याय के अंतर्गत आते हों का व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग होता है जैसे कि मॉल्टेन यूरिया का प्रयोग मेलामाइन के विनिर्माण में होता है, और यूरिया का प्रयोग यूरिया-फार्मैल्डिहाइड रेजिन्स या आर्गेनिक सेन्थेसिस में भी प्रयोग होता है।

2.2 जीएसटी की व्यवस्था के पहले, टैरिफ के अध्याय 31 के अंतर्गत आने वाले उर्वरकों पर शुल्क की रियायती दर लगाई जाती थी (अधिसूचना संख्या 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)। ये रियायती दर अध्याय 31 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर भी लागू होती थी जिनका

प्रयोग स्पष्ट रूप से सीधे उर्वरकों के रूप में होता था या जो अन्य उर्वरकों के विनिर्माण में भी प्रयोग किए जाते थे , चाहे ये सीधे तौर पर या मध्यवर्ती उत्पाद के स्तर पर प्रयोग किए जाते हों ।

3. इस जीएसटी की व्यवस्था के अंतर्गत उर्वरकों पर कर की संरचना वही रखी गई है जो जीएसटी के पूर्व की व्यवस्था में थी । जीएसटी की अधिसूचनाओं की शब्दावली, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं की शब्दावली की तरह ही है । केवल जीएसटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं । इस प्रकार के परिवर्तन इसलिए जरूरी थे कि जीएसटी वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू होती है जबकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वस्तुओं के विनिर्माण पर लागू होता था । तदनुसार शीर्ष 3102, 3103, 3104 और 3105 के अंतर्गत आने वाले उर्वरकों पर, उनसे भिन्न जो कि स्पष्ट रूप से उर्वरक के प्रयोग के लिए नहीं हैं, 5% की जीएसटी लगती है {अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 की प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 182क से 182घ} । हालांकि, उन शीर्ष के अंतर्गत आने वाले उर्वरकों पर, जो कि पहले से ही उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, 18% की जीएसटी लगती है {अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) की अनुसूची-III के क्रम संख्या 42 से 45} । इसके पीछे उद्देश्य यह है कि उन उर्वरकों पर जीएसटी की रियायती दर लगाई जाए जो कि सीधे तौर पर उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या जिनका प्रयोग, कॉम्पलैक्स फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है और बाद में जिनका प्रयोग मृदा या फसल उर्वरकों के रूप में किया जाता है । यह शब्दावली कि “स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले से भिन्न” के दायरे में ऐसे उर्वरक नहीं आएंगे जिनका प्रयोग उन कॉम्पलैक्स फर्टिलाइजरों के विनिर्माण में किया जाता है जो कि मृदा और फसल उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ।

4. इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि सीधे तौर पर उर्वरकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों पर, या कृषि के उपयोग (मृदा या फसल उर्वरक) के लिए अन्य कॉम्पलैक्स उर्वरकों के विनिर्माण हेतु उर्वरकों पर 5% की आईजीएसटी लगेगी ।

भवदीय,

(डॉ. अजय कुमार)  
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)